88/राजस्व/91-92
23/9/91 103

न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

COURT FEE भारत INDIA पांच रुपये FIVE RUPEES | COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES | COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

R-81-IV/91

CF Rs 81/-

श्री हरिहर प्रसाद तनय मंगलदीन पटेल , निवासी ग्राम हर्दी तहसील हुजूर ,मौजूदा तहसील गुढ़ जिला रीवा म०प्र० --आवेदक

ब नाम

श्री शिवनाथ पटेल तनय मंगलदीन पटेल निवासी ग्राम हर्दी, तहसील गुढ़ जिला रीवा मध्य प्रदेश ----------- अनावेदक

निगरानी विरुद्ध आदेश श्री बी०के० एस० सोढ़ी,अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा, दिनांक २८-८-९१ जरिए अपील क्रमांक ८०१।८२-८३ बाबत आराजियात खसरा क्रमांक ८७३, ८७४, ८७७, ८७८, ८८७, ८८८, ८७१, ९१९, ७३९ स्थित ग्राम हर्दी तहसील गुढ़ जिला रीवा म०प्र०, निगरानी अन्तर्गत धारा ५० म०प्र०भू०रा० संहिता वर्ष १९५९ ।

मान्यवर,

निगरानी आवेदनपत्र के आधार निम्नलिखित हैं :-

(१)- यह कि अदालत मातहत का आदेश खिलाफ कानून, जाप्ता व शहादत के है ।

(२)- यह कि अदालत मातहत ने इस तथ्य पर कतई गौर नही किया कि अदालत अपर जिलाध्यक्ष के समक्ष अपील की सुनवाई हेतु सूचना पत्र का निर्वाह परिवार के बालिग सदस्य श्री जगदीश प्रसाद तनय शिवनाथ पटेल जो उस समय के रेस्पा० मुसा० गुलबिया वेवा हीरा पटेल का नाती था तथा उसके शामिल

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 81–दो/1991 निगरानी जिला – रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाष आदि के हस्ताक्षर
11/8/17	यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 801/1982–82 अपील में पारित आदेश दिनांक 28–8–91 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। आवेदक के अभिभाषक को पूर्व पेशी पर सुना जा चुका है। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय। 2/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि अपर कलेक्टर रीवा ने प्रकरण कमांक 28 बी 121/1982–83 को आदेश दिनांक 20–8–82 से अदम पैरबी में निरस्त कर दिया था, तब दिनांक 4–5–83 को प्रस्तुत पुर्नस्थापन आवेदन अवधि वाधित था जिसे अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 10–6–83 से ठीक ही निरस्त किया है परन्तु अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 801/1982–82 अपील में पारित आदेश दिनांक 28–8–91 से अवधि–वाह्य प्रस्तुत पुर्नस्थापन स्वीकार कर मामला गुणदोष पर निर्णीत करने हेतु अपर कलेक्टर को भेजने में त्रृटि की है इसलिये निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 28–8–91 निरस्त किया जाय। 3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को के कम में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 28–8–91 से पुर्नस्थापन आवेदन इसलिये स्वीकार किया है क्योंकि अपर कलेक्टर ने पेशी 17–7–82 नियत कर नोटिस जारी किया था जो पक्षकार पर सीधे तामील नहीं हुआ था	

अपितु उसके नाती को तामील कराया गया था और यह नाती अर्थात (लड़के का लड़का) वालिग था अथवा नावालिग – जांचने का प्रयास नहीं किया गया एंव नोटिस का सम्यक निर्वहन होना मानकर अदम पैरबी का आदेश पारित कर दिया, जिसके कारण अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा ने आदेश दिनांक 28–8–91 से अपर कलेक्टर के एकपक्षीय आदेश को तथा दिनांक 20–8–82 को की गई कार्यवाही को विसंगतिपूर्ण माना है एंव मामला गुणदोष पर निराकरण हेतु वापिस किया है जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 801/1982–82 अपील में पारित आदेश दिनांक 28–8–91 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

सदस्य